

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

11.01.2024

वाद सं०-34 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो०-औंरा, थाना-बगोदर Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के निर्देश के आलोक में जिन शिकायतकर्ताओं को बकाया अनाज नहीं दिया गया है, उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरभाष के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता ने भी इस बात का तसदीक की। आयोग इस मामले की सुनवाई दिनांक-30.01.2024 निर्धारित करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश देता है कि तबतक बाकि बचा अनाज सभी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रमाण आयोग में पेश करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-30.01.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।